न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 72 / 2020 **दायर दिनांकः 06 / 07 / 2020**

उनवान

1. धनराज आयु 58 वर्ष पुत्र भंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बद्रीलाल आयु 65 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति गुर्जर निवासी मायथा तहसील अटरू जिला बारां राज0।
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

प्रतिवादी :— विद्वान अभिभाषक श्री विरेन्द्र प्रताप सिंह हाडा।

आदेश दिनाकः 17 / 01 / 2022

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251 'क' आर. टी. एक्ट. का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल मायथा पटवार मण्डल भैंसडा तहसील अटरू की खाता संख्या 80 के ख० न० 264 / 753 का रकबा 0.03 है०, ख०न० 569 का रकबा 0.56 है०, ख०न० 537 / 522 का रकबा 0.89 है०, ख०न० 838 / 554 का रकबा 0.09 है०, ख०न० 839 / 201 का रकबा 0.24 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.81 है० आराजी प्रार्थी के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में चली आ रही है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। ग्राम एवं माल मायथा पटवार मण्डल भैंसडा तहसील अटरू की खाता संख्या 101 की ख0नं0 399 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 49 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 556 रकबा 1.42 है0, ख0नं0 572 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 574 रकबा 0.05 है0, ख0नं0 575 रकबा 0.03 है0 कुल किता 6 रकबा 1.74 है0 आराजी अप्रार्थी कम 1 के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस संवत 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 की पेतृक आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थी कम 1 के पिता आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व आराजी का विभाजन हो चुका है। विभाजन के अनुसार प्रार्थी अपनी

आराजी के ख0नं0 569 पर आने जाने के लिए लगभग 50 वर्षों से अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी ख0नं0 556 के पूरब दिशा की मेड के पास होकर रास्ते का उपयोग ट्रेक्टर ट्रोली, अन्य कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए करता आ रहा है। जहां पर रास्ता बना हुआ था लेकिन अप्रार्थी क्रम 1 इस वर्ष दिनांक 20.06.2020 को रास्ते को हाक कर अपने खेत में मिल लिया। और प्रार्थी को ख0नं0 556 की मेड पर होकर निकलने से मना कर दिया। जिसकी प्रार्थी ने पुलिस थाना अटरू में रिपोर्ट दर्ज करवाई व श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू के यहां प्रार्थना पत्र पेश किया। लेकिन कोर्ठ कार्यवाही नही की गई नजरी नक्शा प्रार्थना पत्र के साथ पेश है जो प्रार्थना पत्र का एक भाग है। अप्रार्थी क्रम 1 ने यदि प्रार्थी को ख0नं0 556 के पूरब दिशा की मेड पर होकर ट्रेक्टर ट्रोली, व अन्य कृषि यन्त्र लेकर नहीं निकलने दिया तो प्रार्थी के खाते की आराजी पडत रह जावेगी। जिससे अपूरणिय क्षति होगी। जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना संभव नहीं होगी। अस्तु प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 को पाबन्द करवाने का अधिकारी है कि वे प्रार्थी को ख0नं0 556 के पूरब दिशा की मड के पास होकर ट्रेक्टर, ट्रोली, व अन्य कृषि यंत्र न तो स्वयं करें और नहीं अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे। प्रार्थी को रास्ते का उपयोग उपभोग शान्ती पूर्वक करने देवे। रास्ते को खुलासा रखे। जिसमें बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेष है। प्रार्थी उक्त रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवा कर नक्शा ट्रेस में तरमीन करवाना चाहता है इस हेतु प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 के खाते की आराजी ख0नं0 556 में से 15 फुट चौडा ख0नं0 569 तक आने जाने ट्रेक्टर, ट्रोली व अन्य कृषि यंत्र लाने ले जाने के लिए उपयोग में ली जाने वाली भूमि की राशि का भुगतान डी.एल.सी. रेट के मुताबिक अप्रार्थी क्रम 1 व 2 को करने के लिए तैयार है। राजस्थान सरकार भूमि धारी होने से श्रीमान तहसीलदार साहब अटरू को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त रास्ता की आराजी वाके ग्राम एवं माल मायथा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षैत्रधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ख0नं0 556 में पूरब मेड के पास होकर ख0नं0 569 तक 15 फुट चौडा अप्रार्थी क्रम 1 से प्रार्थी को दिलाया जावे तथा रास्ते के लिए उपयोगी मे आने वाली भूमि का डी. एल.सी. रेट के मुताबिक राशि अप्रार्थी क्रम 1 को अदा करने पर नक्शा ट्रेस में तरमीन कर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी रास्ता दर्ज करने का आदेश अप्रार्थी क्रम 2 को प्रदान किया जावे। तथा अप्रार्थी क्रम 1 को पाबन्द किया जावे की रास्ते के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों द्वारा करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। प्रतिवादी क्रम 2

द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थी के आराजी ख0नं0 569 रकबा 0.56 है0 भूमि पर जाने हेतु व कृषि यंत्र बने आने हेतु अप्रार्थी बद्रीलाल पुत्र कवंरलाल जाति गुर्जर के आराजी ख0नं0 556 रकबा 1.42 है0 के पूर्व की मेड पर होकर परम्परागत रास्ता था जिसे आपसी विवाद के चले बन्द कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थी धनराज पुत्र भवंरलाल जाति गुर्जर लगभग 20–30 वर्षों से अप्रार्थी बद्रीलाल पुत्र कवंरलाल जाति गुर्जर भी पूर्व की मेड पर होकर आता जाता था। जो कि वर्तमान में रास्ता पूर्वत अवरूद्ध कर रखा है। मौके पर प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों को बुलाकर समझाईस करने की कोशिश की गई परन्तु दोनों असहमत है। अतः अग्रीम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट पेश की है।

अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम एवं माल मायथा के ख0नं0 556 में पूरब मेड के पास होकर ख0नं0 569 तक 15 फुट चौडा अप्रार्थी क्रम 1 से प्रार्थी को दिलाया जावे।

पत्रावली एवं तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । प्रार्थी नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 को देने के लिए तैयार है इसलिए प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतित होता है।

–::क्रियात्मक आदेश ::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के स्वामित्व की आराजी ग्राम एवं माल मायथा पटवार मण्डल भैंसडा तहसील अटरू की खाता संख्या 80 के कुल किता 5 कुल रकबा 1.81 है० तक आने–जाने हेतु अप्रार्थी की आराजी ग्राम मायथा के ख0नं0 556 में पूरब मेड के पास होकर ख0नं0 569 तक 292 मीटर लम्बा एवं 4 मीटर चौडा रास्ता (यानी 1168 वर्ग मीटर) नियमानुसार DLC की दुगनी राशि अप्रार्थी क्रम 1 को दिये जाने पर रास्ता कायम किये जाने के आदेश किये जाते है, तहसीलदार अटरू उक्तानुसार गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करें।

निर्णय आज दिनांक 17/01/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां